बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

पत्रांक— /एम0, पटना, दिनांक—

प्रेषक,

असंगबा चुबा आओ,
विशेष सचिव—सह—निदेशक।

सेवा में,

सभी सहायक निदेशक।

सभी खनिज विकास पदाधिकारी।

सभी खान निरीक्षक।

विषय— अवैध खनिजों के परिचालन के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि अपने जिला में वाहनों की जाँच सघन रूप से की जाय एवं जाँच के क्रम में यह सुनिश्चित किया जाय कि चालान में जो ग्राहक का पता एवं मोबाईल नम्बर दिया गया है, वह सही है या नहीं। इसके सत्यापन हेतु चालान में दिये गये मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क कर सही चालान का सत्यापन किया जाय। अगर सत्यापित नहीं होता है तो यह माना जायेगा कि अवैध खनन एवं व्यवसाय हो रहा है। उक्त वाहन को जब्त करते हुए बिहार लघु खनिज नियमावली एवं पर्यावरणीय नियमावली के सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाय।

इसे शक्ति से पालन किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/—
विशेष सचिव—सह—निदेशक।

ज्ञापांक— 752 /एम0 पटना, दिनांक— 7/2/18

प्रतिलिपिः—सभी बन्दोबस्तधारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

उन्हें निदेश दिया जाता है कि घाट से निर्गत चालान पर ग्राहक का सही पता एवं मोबाईल नम्बर अंकित करें अन्यथा बन्दोबस्तधारियों पर भी आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

विशेष सचिव—सह—निदेशक।

Sujeet/2017/Dir/Mix Lettar